न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2866–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–7–15 पारित द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख, भोपाल प्र.क्र.1/अ–12/2014–15.

.....

श्रीमती जॉली प्रसाद
पत्नी श्री प्रसाद थॉमस वी
निवासी ई–8/119 त्रिलंगा कॉलोनी भोपाल

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–सदाराम आत्मज आशाराम
निवासी ग्राम बैरागढ़ चीचली
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक–आवेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/4/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख, बैरागढ़ चीचली तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा अपर कलेक्टर जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी भूमि आवेदिका जौलीप्रसाद थॉमस की भूमि सर्वे कमांक 529 रकबा 0.75 से लगी हुई है । आवेदिका द्वारा जिस समय अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था उस समय अनावेदक कमांक 2 मौके पर उपस्थित नहीं था और न ही सीमांकन कार्यवाही में उसे तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है। उक्त सीमांकन में उसे आपत्ति है, क्योंकि आवेदिका द्वारा कराये गये सीमांकन में

लगभग 8000 वर्गफीट अनावेदक कमांक 2 की भूमि चली गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू–अभिलेख से कराया जाये । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–12/14–15 दर्ज कर उक्त आवेदन पत्र अधीक्षक, भू–अभिलेख को जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 6–4–2015 को इस आशय की टीप अंकित की गई कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत कर अधीक्षक भू–अभिलेख से सीमांकन कराये जाने की मॉग की गई है । यदि संबंधित को आपत्ति है, तो उन्हें सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना चाहिये और यदि सक्षम न्यायालय द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख को सीमांकन के लिये आदेशित किया जाता है, तब उनके द्वारा सीमांकन किया जा सकता है । उक्त आवेदन पर मेरे स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, पुनः अनावेदक कमांक 2 द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख को सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23–4–2015 को अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख को सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । अपर कलेकटर के आदेश के पालन में अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन दल का गठन किया जाकर सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । सीमांकन दल द्वारा दिनांक 18–5–2015 को सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन दिनांक 29–7–15 को अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख भोपाल के इसी आदेश दिनांक से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 की भूमि सीलिंग प्रकरण में अतिशेष घोषित की जा चुकी है इसलिये अनावेदक कमांक 2 अपनी भूमि का सीमांकन नहीं करा सकता था, इसलिये उसके द्वारा आवेदक की भूमि का सीमांकन करा लिया गया है, जबकि भूमिस्वामी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सीमांकन नहीं कराया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि

अनावेदक कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जाधारी है, ऐसी स्थिति में उसे आवेदिका की भूमि का सीमांकन कराये जाने का कोई अधिकार नहीं है । उनके द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख भोपाल का सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन भूमि के किये गये सीमांकन को केवल निगरानी में ही चुनौती दी जा सकती है, परन्तु आवेदिका द्वारा केवल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि के किये गये सीमांकन में अनियमितताएं दर्शाई गई हैं । इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख से प्रतिवेदन चाहा गया है और अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा इसी आशय का प्रतिवेदन दिया गया है कि यदि आवेदिका को सीमांकन में किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर सकता है और सक्षम न्यायालय के निर्देश पर ही पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जा सकती है । इसी का अनुमोदन अपर कलेक्टर ने दिनांक 17–4–2015 को किया भी है । फिर भी अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा बिना किसी आदेश के पुनः सीमांकन किया जाकर दिनांक 29–7–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया है । स्पष्ट है कि अनावेदक के आवेदन पर आवेदक की जमीन का सीमांकन किया जाना पूरी तरह अनियमित तथा विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक, भू–अभिलेख, बैरागढ़ चीचली तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–07–2015 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर